प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौंसठ'

[12/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 1527]

परिशिष्ट–1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रं0 1527

सर्व शिक्षा अभियान के दौरान झाबुआ जिले में कोई वित्तीय अनियमितता होना नहीं पाया गया है, तथापि वर्ष 2014–15 से प्रश्न दिनांक तक जिन शिकायतों पर जांच प्रचलन में है, उनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) एक शिकायत लोकायुक्त संगठन को प्राप्त हुई, यह शिकायत झाबुआ जिले में वर्ष 2007–08 में श्री राजकुमार पाठक, तत्कालीन कलेक्टर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजना में प्राप्त राशि के दुर्विनियोग संबंधी है। इस शिकायत पर लोकायुक्त संगठन द्वारा जांच प्रकरण क्रं0 84/2010 दर्ज किया गया और पत्र क्रं0 7741 दिनांक 26.03.2015 द्वारा विभाग से जांच प्रतिवेदन चाहा गया, प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

(1.1) विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2016 द्वारा श्री सुरेश चंद्र सोनी, तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक, झाबुआ को सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2006–07 व 2007–08 में हुई वित्तीय अनियमितता के संबंध में निलंबित किया जाकर दिनांक 18.04.2016 को श्री सोनी के विरूद्ध आरोप–पत्र जारी किये गये। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 01.08.2016 के क्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रेषित अभिमत परीक्षणाधीन है। विभागीय निलंबन आदेश दिनांक 30.01.2016 के विरूद्ध श्री सोनी द्वारा मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर डब्ल्यू.पी.क्रं0 3094/2017 में मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2017 के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 05.08.2017 द्वारा श्री सोनी को निलंबन से बहाल कर प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. खजुराहो जिला छतरपुर के रिक्त पद पर पदस्थ किया गया।

(1.2) लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रं0 206 दिनांक 15.02.2016 द्वारा श्री विमल कुमार वैष्णव, तत्कालीन सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त को निलंबित किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रं0 360 दिनांक 25.02.2017 द्वारा श्री वैष्णव को निलंबन से बहाल कर संचालनालय के आदेश क्रं0 886 दिनांक 18.05.2017 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है।

(1.3) तत्कालीन कलेक्टर, झाबुआ श्री राजकुमार पाठक के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यवाही प्रचलन में है।

(2) जिला शिक्षा केन्द्र, झाबुआ में वर्ष 2007–08 में हुई उपरोक्त अनियमितता के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. भोपाल द्वारा 10 अधिकारियों के विरूद्ध कुल 04 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये है। इन प्रकरणों के संदर्भ में ब्यूरो द्वारा समय–समय पर अभिलेख चाहे जा रहे है जो संबंधित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है।

5/3/18

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल